उत्तर प्रदेश शासन
अवस्थापना विकास अनुभाग

सं0 487/83-अव0-2013-116(अव0)/12

लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2014

अधिसूचना

उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष के संचालन एवं उससे सम्बन्धित अन्य व्यवस्था करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यकारी शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष नियमावली-2014

1-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(क) इस नियमावली को उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष (Uttar Pradesh Infrastructure Development Fund, U.P.-IDF) नियमावली-2014 एवं संक्षेप में यू0पी0आई0डी0एफ0-2014 कहा जायेगा।

(ख) यह नियमावली जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाएं

(क) नियमावली से तात्पर्य है "उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष नियमावली-2014" ;

(ख) "उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष" या "कोष" से तात्पर्य है "उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष-2014";

(ग) "अवस्थापना सुविधाओं" से तात्पर्य है "उन परियोजनाओं/सुविधाओं से है, जिनका विकास राज्य के व्यापारिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास में आवश्यक है एवं जिसे राज्य सरकार व्यापारिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास के दृष्टिकोण से उचित समझे।"

(घ) "समिति" का तात्पर्य "नियम 4 के अधीन गठित समिति से है।"

3-कोष का उपयोग

कोष में उपलब्ध धनराशि का उपयोग नियमावली के नियम-6 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

4-कोष के उपयोग की रीति

(क) कोष में धनराशि का उपयोग की मदों एवं मानदण्डों का अवधारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति के रूप में जाना जायेगा:-

1-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3-प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य/संयोजक
4-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7-प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8-प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10-प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11-प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर	सदस्य

(ख) बैठकों की प्रक्रिया, जिसमें अंतराल, गणपूर्ति आदि सम्मिलित हैं, ऐसी होगी जैसी समिति द्वारा निश्चित की जायेगी तथा कोष संचालन हेतु समिति द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि एकल संचालन व्यवस्था होगी अथवा संयुक्त।

(ग) समिति आवंटित मदों/कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(घ) सम्बन्धित विभागों का दायित्व होगा कि वे कोष से समिति द्वारा उनके लिये आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग करें जिसके लिये वे निरंतर अनुश्रवण करेंगे और राज्य सरकार के वित्त विभाग और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

(ङ) अवस्थापना विकास अनुभाग कोष के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। अवस्थापना विकास

(च) कोष से आवंटित धनराशि का उपयोग समिति द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों/मदों के लिये किया जायेगा।

(छ) उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष की प्राप्तियां एवं खर्चे महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा लेखा बही में रखे जायेंगे।

(ज) कोष के लेखाओं की लेखा परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0 एवं उ0प्र0 स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।

5—संसाधन — कोष के संसाधन के निम्न स्रोत होंगे:—

(क) पूर्व में गठित अवस्थापना कोष-1996 एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशिएटिव फण्ड-1998 की समस्त धनराशि UP-IDF को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

(ख) नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी एक निश्चित धनराशि का उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में योगदान किया जायेगा, जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

(ग) व्यापार विकास निधि की 25 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष में स्थानान्तरित की जायेगी।

(घ) अन्य ऐसे स्रोत जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

6—आगम का उपयोग — इस नियमावली के अधीन आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं—

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों के जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव।

(ख) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज को बिजली एवं जल आपूर्ति के लिये अवस्थापना का सृजन।

(ग) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव।

(घ) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण के सृजन, विकास एवं रख-रखाव के लिये वित्त, सहायता, अनुदान तथा राज-सहायता उपलब्ध कराना।

(ङ) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुड़े या उनकी सुविधा के लिये ऐसे अवस्थापना घरक अथवा अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

7—बैंक खाता — (क) कोष हेतु बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।

(ख) बैंक खाते के संचालन के रीति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ग) कोष की समस्त धनराशि फिक्स डिपाजिट के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी।

8—व्यपगत — अवस्थापना विकास कोष में व्यापार विकास निधि से प्राप्त होने वाली 25 प्रतिशत धनराशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि इसमें से कुछ धनराशि रहती है तो उस धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यापार विकास निधि को वापस कर दी जायेगी। अवस्थापना विकास कोष (आई0डी0एफ0) में संचित धनराशि व्यपगत (लैप्सबुल) नहीं होगी।

9—समस्या निवारण — इस कोष के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो अथवा स्पष्टीकरण वांछित हो तो ऐसे मामलों को उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति को संदर्भित किया जायेगा।

आज्ञा से,
धीरज साहू,
सचिव।

टिप्पणी—राजपत्र दिनांक 08-02-2014 के भाग 1-क में प्रकाशित विज्ञप्ति।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

उत्तर प्रदेश शासन

अवस्थापना विकास अनुभाग

संख्या- 576/83-अ0वि0-2015-116 (अ0वि0)/12

लखनऊ : दिनांक [illegible] जुलाई,2015

अधिसूचना

उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष (प्रथम संशोधन) नियमावली-2015

संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यकारी शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष के संचालन एवं उससे संबंधित अन्य व्यवस्था करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या-487/83-अ0वि0-2013-116 (अ0वि0)/12 दिनांक 22.01.2014 द्वारा निर्गत उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष नियमावली-2014 के वर्तमान नियम-4(क),5 एवं 6 में निम्नांकित तालिकानुसार उनके सम्मुख अंकित संशोधित नियम प्रतिस्थापित किये जाते हैं:-

वर्तमान प्राविधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान	
नियम-4-(क) कोष के उपयोग की रीति कोष में धनराशि का उपयोग की मदों एवं मानदण्डों का अवधारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति के रूप में जाना जायेगा:-		नियम-4-(क) कोष के उपयोग की रीति कोष में धनराशि का उपयोग की मदों एवं मानदण्डों का अवधारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति के रूप में जाना जायेगा:-	
1-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन-	अध्यक्ष	1-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन-	अध्यक्ष
2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन	- उपाध्यक्ष	2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन-	उपाध्यक्ष
3-प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन -	सदस्य/संयोजक	3-प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य/संयोजक
4-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य	4-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
5-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य	5-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
6-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य	6-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
7-प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य	7-प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
8-प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य	8-प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन-	सदस्य	9-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन-	सदस्य
10-प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य	10-प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
11-प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य	11-प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
12-मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर-	सदस्य	12-मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर-	सदस्य
		13-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	-सदस्य

नियम-5- संसाधन	नियम-5- संसाधन
कोष के संसाधन के निम्न स्रोत होंगे:-	कोष के संसाधन के निम्न स्रोत होंगे:-
(क) पूर्व में गठित अवस्थापना कोष-1996 एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशिएटिव फण्ड-1998 की समस्त धनराशि UP-IDF को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।	(क) पूर्व में गठित अवस्थापना कोष-1996 एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशिएटिव फण्ड-1993 की समस्त धनराशि UP-IDF को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
(ख) नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी एक निश्चित धनराशि का उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में योगदान किया जायेगा, जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी।	(ख) नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी एक निश्चित धनराशि का उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में योगदान किया जायेगा, जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी।
(ग) व्यापार विकास निधि की 25 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष में स्थानान्तरित की जायेगी।	(ग) व्यापार विकास निधि की 25 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष में स्थानान्तरित की जायेगी।
	(घ) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा उनके पास उपलब्ध ऐसी एक निश्चित सरप्लस धनराशि का उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में योगदान किया जायेगा, जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी।
(घ) अन्य ऐसे स्रोत जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।	(ङ) अन्य ऐसे स्रोत जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
नियम-6 आगम का उपयोग-	नियम-6-आगम का उपयोग-
इस नियमावली के अधीन आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित है:-	इस नियमावली के अधीन आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित है:-
(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों के जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव।	(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों के जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव।
(ख) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज को बिजली एवं जल आपूर्ति के लिये अवस्थापना का सृजन।	(ख) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज को बिजली एवं जल आपूर्ति के लिये अवस्थापना का सृजन।
(ग) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के आकर्षण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव।	(ग) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के आकर्षण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव।
(घ) संबंधित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण के सृजन, विकास एवं रख-रखाव के लिये वित्त, सहायता, अनुदान तथा अन्य-सहायता उपलब्ध कराना।	(घ) संबंधित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण के सृजन, विकास एवं रख-रखाव के लिये वित्त, सहायता, अनुदान तथा अन्य-सहायता उपलब्ध कराना।
(ङ) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुड़े या उनकी सुविधा के लिये ऐसे अवस्थापना परक अथवा अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे।	(ङ) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुड़े या उनकी सुविधा के लिये ऐसे अवस्थापना परक अथवा अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
	(च)- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में सुनियोजित विकास की दृष्टि से उपयोगी परियोजनाओं व विकास कार्यों हेतु सहायता अनुदान/अन्य सहायता उपलब्ध कराना।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार शुक्ला)

प्रमुख सचिव।